

प्रेस नोट

थाना - गढ़मुक्तेश्वर दिनांक 25.05.2025

- 🕨 थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक वारन्टी को किया गिरफ्तार।
- 🕨 जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद।
- 🗲 गिरफ्तार वारन्टी थाना गढ़मुक्तेश्वर का हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अपराधी है। कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के वाद सं0 1142/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वारन्टी को नेचर पैराडाईज नर्सरी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारन्टी का नाम व पता:-

रुपेश उर्फ रुपेन्द्र पुत्र निरंजन निवासी ग्राम नयांगाव इनायतपुर थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड (एचएस नं0 100ए) गिरफ्तार वारन्टी का आपराधिक इतिहास:-

- 1. मु0अ0सं0 491/23 धारा 60(2) आबकारी एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 2. मु0अ0सं0 254/24 धारा 60(1) आबकारी एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 3. मु0अ0सं0 516/20 धारा 60(1) आबकारी एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 4. मु0अ0सं0 546/21 धारा 60(1) आबकारी एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
- 5. मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 6. मु0अ0सं0 73/23 धारा 60(1) आबकारी एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
- 7. मु0अ0सं0 425/23 धारा 60(1) आबकारी एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।

बरामदगी का विवरण -

एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री शशिपाल सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
- 2. उ0नि0 श्री चिंकू सैनी थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
- 3. उ0नि0 श्री चन्द्रदेव पटेल गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।